न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 25 / 2021 GCMS NO 2021 / 146

दायरा तिथि : 02.08.2021

आदेश तिथि : 24-02-23

प्रार्थी :–

1. सुजाराम पुत्र केसाजी
2. घीसुलाल पुत्र केसाजी
3. लकमाराम पुत्र केसाजी
4. वगाराम पुत्र केसाजी
5. पकाजी पुत्र केसाजी
6. शेषाराम पुत्र केसाजी जातिगण सीरवी निवासीगण बेरा वडला वाला बाली

ब ना म

अप्रार्थी :–

1. चतराराम पुत्र वेलाराम
2. नैनाराम पुत्र वेलाराम
3. रामलाल पुत्र वेलाराम जातिगण सीरवी निवासीगण बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 24-02-23

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि मौजा ग्राम बाली तहसील बाली के खसरा नंबर 3035 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नंबर 3036 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 2989 रकबा 0.4000 हैक्टर व खसरा नंबर 3037 रकबा 0.0400 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम बाली तहसील के खसरा नंबर 2990 रकबा 0.4400 हैक्टर मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में पीले रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बाली ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2022/1918 दिनांक 28.06. 2022 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध में वकील अप्रार्थीगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई जिस आपत्ति के आधार पर तहसीलदार बाली से पुनः जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बाली ने पुनः जांच कर पत्रांक/राजस्व/2023/3710 दिनांक 0.01.2023 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की पुनः जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि प्रार्थी द्वारा रास्ते हेतु चाही गई भूमि ग्राम बाली के खसरा नंबर 2990 रकबा 0.44 हैक्टर (किस्म चा.प्र. 0.42 हैक्टर व जा.अ. 0.02 हैक्टर) व खसरा नंबर 3038 रकबा 1.27 हैक्टर किस्म चा.प्र. भूमि श्री चतराराम पुत्र वेलाराम हि. 1/3 जाति सीरवी, नैनाराम पुत्र वेलाराम हि. 1/3 जाति सीरवी एवं रामलाल पुत्र वेलाराम 1/3 जाति सीरवी निवासी बाली खातेदार दर्ज है।
2. यह है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में जाने हेतु संशोधित नजरी नक्शा संलग्न है।
3. यह हैं कि प्रार्थी खातेदार की कृषि भूमि में आने जाने हेतु 15 फीट रास्ता दिये जाने निम्नानुसार रास्ता प्रभावित होगा।

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	2990	0.44 हैक्टर	चा.प्र. ज.अ.	48X4.16=199.68 46X4.16=191.36वर्गमीटर	1.चतराराम पुत्र वेलाराम सीरवी हि. 1/3 2. नैनाराम पुत्र वेलाराम सीरवी हि. 1/3 3. रामलाल वेलाराम सीरवी हि. 1/3
2	3038	1.27	चा.प्र.	16X4.16=66.56 44X4.16=183.04 31X4.16=128.96 वर्गमीटर	1.चतराराम पुत्र वेलाराम सीरवी हि. 1/3 2.नैनाराम पुत्र वेलाराम सीरवी हि. 1/3 3.रामलाल वेलाराम सीरवी हि. 1/3
			योग	769.6 वर्गमीटर	

पेज लगातार..........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 25/2021 GCMS NO 2021/146
अनवान सुजाराम बनाम चतराराम
अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

4. प्रस्तावित भूमि ग्राम बाली की डी.एल.सी. दर 4124642/– रूपये प्रति हैक्टर है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ज्ञात है कि आवेदक प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बाली तहसील बाली के खसरा नंबर 3035 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नंबर 3036 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 2989 रकबा 0.4000 हैक्टर व खसरा नंबर 3037 रकबा 0.0400 हैक्टर में आवागमन के लिये वर्तमान में रेकर्डेड कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, जिस तथ्य को अप्रार्थी तहसीलदार, बाली ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है। जिससे प्रार्थी की रास्ते बाबत् मांग न्यायोचित है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकः प.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम बाली तहसील बाली के खसरा नंबर 3035 रकबा 0. 0200 हैक्टर, खसरा नंबर 3036 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 2989 रकबा 0.4000 हैक्टर व खसरा नंबर 3037 रकबा 0.0400 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिये ग्राम बाली तहसील बाली के खसरा नंबर 2990 से नजदीकी रास्ते के बीच में कुआं व पक्का कमरा होने के कारण रास्ता नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थी को तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बाली ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2023/3710 दिनांक 0.01.2023 की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम बाली के खसरा नंबर 2990रकबा 0.4400 व खसरा नंबर 3038 रकबा 1.2700 हैक्टर मेंसे **769.6 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।
राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 4124642/– रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
2990	0.44 हैक्टर	48X4.16=199.68 46X4.16=191.36 वर्गमीटर	412.46	82360X2= 164720 78928X2= 157856	1.चतराराम पुत्र वेलाराम सीरवी हि. 1/3 2. नैनाराम पुत्र वेलाराम सीरवी हि. 1/3 3. रामलाल वेलाराम सीरवी हि. 1/3
3038	1.27	16X4.16=66.56 44X4.16=183.04 31X4.16=128.96 वर्गमीटर	412.46	27453X2= 54906 75497X2= 150994 53191X2= 106382	1.चतराराम पुत्र वेलाराम सीरवी हि. 1/3 2. नैनाराम पुत्र वेलाराम सीरवी हि. 1/3 3. रामलाल वेलाराम सीरवी हि. 1/3
	योग	**769.6 वर्गमीटर**		634858/– रूपये	

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 634858/– **(अक्षरे छः लाख चौतीस हजार आठ सौ अठावन रूपये मात्र)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण को अदा की जायेगी। अप्रार्थीगण द्वारा राशि नहीं लिये जाने की दशा में प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू–अभि. बाली द्वारा रिपोर्ट दिनांक 09.01.2023 के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री भायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 25/2021 GCMS NO 2021/146

अनवान सुजाराम बनाम चतराराम

अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

क्रमॉक/कोर्ट/2023/189-193 दिनांक : 24-02-23

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः-

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बाली
3. पटवारी हल्का, बाली
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक सुजाराम पुत्र केसाजी जाति सीरवी निवासी बाली वगैरा को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner